न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 189/2018/223 आर टी ए

बलवीर सिंह नाजरसिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. गुरचरणसिंह पुत्र नाजरसिंह जाति जटसिख निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. ओमप्रकाश पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. तहसीलदार संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 28.05.2018 न्यायालय सहायक कलैक्टर संगरिया
प्रकरण संख्या 284/2016 अनवानी स्टेट बनाम बलवीरसिंह आदि

उपस्थित :–
श्री शमशेरसिंह संधू अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री दलजीत सिंह सिधू अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 व 2
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3

निर्णय दिनांकः–26.06.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 177 आरटीए पेश किया कि प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम चक 9 बीजीपी–बी खाता सं. 50/41 मे 3.744 है0 भूमि दर्ज है। इस कृषि भूमि मे प. न. 188/145 मु.न. 37 कि.न. 23 ता 25, प.न. 188/146 मु.न. 38 कि.न. 3 ता 8 कुल 2.227 है0 मे बाबा ईंट उद्योग के नाम से ईंट भट्टा लगा रखा है उक्त कृषिभूमि पर अवैध रूप से भूमि को राजस्थान भू राजस्व ग्रामीण क्षेत्र मे कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन करवाये बिना औधोगिक प्रयोजनार्थ लगा रखा है। उक्त कृषि भूमि मे से अवैध रूप स्थापित ईंट भट्टा को हटाने हेतु पटवारी नायब तहसीलदार को कहा किन्तु प्रतिवादी द्वारा ईंट भट्टा नही हटाया गया। प्रतिवादीगण ने बिना भूमि रूपान्तरण करवाये ईंट भट्टा के रूप मे उपयोग कर रहा है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 आरटीए के अन्तर्गत दी गई शर्तो का उल्लघंन किया गया है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि उनके द्वारा ईंट भट्टा लगाया गया है लेकिन कुल प.न. 188/145 मु.न. 37 कि.न. 23 ता 25 व मु.न. 38 के कि.न. 3 ता 5 मे ईंट भट्टा

लगाया गया है, प.न. 188/146 मु.न. 38 के कि.न. 6 ता 8 मे कोई भट्टा नही लगा हुआ है। कृषि भूमि को संपरिवर्तन हेतु दिनांक 19.09.2012 को आवेदन किया था जो विचाराधीन है। विचारण न्यायालय ने द्वारा दिनांक 28.05.2018 को अपीलाधीन आदेश पारित कर 9 बीजीपी–बी खाता सं. 50/41 के प.न. 188/145 मु.न. 37 कि.न. 23 ता 25/0.759 है0, प.न. 188/146 मु.न. 38 कि.न. 3 ता 8 कुल 2.227 है0 भूमि को आराजीराज घोषित किये जाने का आदेश पारित किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्षकार पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय गलत, विधि विरूद्ध तथा न्यायिक सिद्धांतो के खिलाफ होने के कारण खारिज योग्य है। अपीलांट के हित को सुरक्षित करना अदालत का दायित्व है लेकिन विचारण न्यायालय ने अपीलांट के हितो की ओर गौर न कर कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा वादपत्र एक प्रति मे प्रस्तुत किया गया तथा विचारण न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा किसी प्रकार का शपथ पत्र या साक्ष्य पेश नही किया गया। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा आनन फानन मे अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 द्वारा कृषि भूमि को संपरिवर्तन करवाने हेतु आवेदन भी प्रस्तुत किया हुआ है जो विचाराधीन है, इसके संबंध मे अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 के जवाबदावा मे स्पष्ट कथन है तथा हल्का पटवारी द्वारा संपरिवर्तन की रिपोर्ट रेस्पो सं. 3 को प्रस्तुत की जा चुकी है जबकि रेस्पो0 सं. 3 द्वारा जानबूझकर विचारण न्यायालय मे रिपोर्ट प्रस्तुत नही की जा रही है, इसके स्वयं वादी/रेस्पो0 सं. 3 उतरदायी है। वादग्रस्त आराजी सांझा खाता मे है जिसका विचारण न्यायालय मे दावा विचाराधीन था जिसका हाल ही मे राजस्व कैम्प न्याय आपके द्वार ढाबा मे निर्णय पारित किया जा चुका है। वादग्रस्त भूमि का हाल ही मे खाता विभाजन की डिक्री विचारण न्यायालय द्वारा पारित की गई है, विचारण न्यायालय द्वारा संपरिवर्तन शुल्क जमा नही करवाया जा रहा है लेकिन अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 संपरिवर्तन राशि जमा करवाने के लिए तैयार है फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा सन् 2012 से लम्बित संपरिवर्तन आदेश की पत्रावली मे जानबूझकर शुल्क जमा नही करवाया जा रहा है, इस बिन्दू की ओर ध्यान ना देकर विचारण न्यायालय ने कानूनी भूल की है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ संलग्न दस्तावेज अपील के सही निर्णय हेतु

सहायक दस्तावेज होने का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार कर संलग्न दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने का कथन किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.05.2018 को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 3 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 व 2 के नाम चक 9 बीजीपी–बी खाता सं. 50/41 मे 3.744 है0 भूमि दर्ज थी, इस कृषि भूमि मे प.न. 188/145 मु.न. 37 कि.न. 23 ता 25, प.न. 188/146 मु.न. 38 कि.न. 3 ता 8 कुल 2.227 है0 मे बाबा ईंट उद्योग के नाम से ईंट भट्टा लगा रखा है उक्त कृषि भूमि पर अवैध रूप से भूमि को राजस्थान भू राजस्व ग्रामीण क्षेत्र मे कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन करवाये बिना औधोगिक प्रयोजनार्थ लगा रखा है। उक्त कृषि भूमि मे से अवैध रूप स्थापित ईंट भट्टा को हटाने हेतु पटवारी नायब तहसीलदार को कहा किन्तु अपीलांट द्वारा ईंट भट्टा नही हटाया गया। अपीलांट ने बिना भूमि रूपान्तरण करवाये ईंट भट्टा के रूप मे उपयोग कर रहा है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 आरटीए के अन्तर्गत दी गई शर्तो का उल्लघंन किया गया है। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 177 आरटीए प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र स्वीकार करते हुए प्रश्नगत भूमि आराजीराज दर्ज की गई जो सही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता अपीलांटा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ संलग्न दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि फर्द अहकाम दिनांक 03.01.2013 उपखण्ड अधिकारी संगरिया, प्रमाणित प्रतिलिपि रूपान्तरण प्रार्थना, चित्रप्रति पटवारी हल्का रिपोर्ट दीनगढ़, चित्रप्रति नामान्तरण संख्या 1299 चक 9 बीजीपी–बी दिनांक 11.06.18 अपील के निस्तारण मे सहायक सिद्ध होने के बिन्दू को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार कर संलग्न दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि ''रेस्पो0 सं. 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 177 आरटीए पेश किया कि प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम चक 9 बीजीपी–बी खाता सं. 50/41 मे 3.744 है0 भूमि दर्ज है। इस कृषि भूमि मे प.

न. 188/145 मु.न. 37 कि.न. 23 ता 25, प.न. 188/146 मु.न. 38 कि.न. 3 ता 8 कुल 2.227 है0 मे बाबा ईंट उद्योग के नाम से ईंट भट्टा लगा रखा है उक्त कृषिभूमि पर अवैध रूप से भूमि को राजस्थान भू राजस्व ग्रामीण क्षेत्र मे कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन करवाये बिना औधोगिक प्रयोजनार्थ लगा रखा है। उक्त कृषि भूमि मे से अवैध रूप स्थापित ईंट भट्टा को हटाने हेतु पटवारी नायब तहसीलदार को कहा किन्तु प्रतिवादी द्वारा ईंट भट्टा नही हटाया गया। प्रतिवादीगण ने बिना भूमि रूपान्तरण करवाये ईंट भट्टा के रूप मे उपयोग कर रहा है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 आरटीए के अन्तर्गत दी गई शर्तो का उल्लघंन किया गया है। इसलिये कृषि भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश प्रदान किये जावे तथा आराजीराज की जावें।''

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के जरिये वादपत्र रेस्पो. सं. 3 स्वीकार कर 9 बीजीपी–बी खाता सं. 50/41 के प.न. 188/145 मु.न. 37 कि.न. 23 ता 25/0.759 है0, प.न. 188/146 मु.न. 38 कि.न. 3 ता 8 कुल 2.227 है0 भूमि को आराजीराज घोषित करते हुए मौका से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश पारित किये गये। जबकि अपीलांट के कथनानुसार एवं प्रस्तुत संपरिवर्तन आवेदन पत्र मे अंकित पटवारी रिपोर्ट के अनुसार चक 9 बीजीपी–बी प.न. 188/145 मु.न. 37 कि.न. 23 ता 25 व मु.न. 38 के कि.न. 3 ता 5 कुल 6 बीघा भूमि मे ईंट भट्टा लगाया गया है, प.न. 188/146 मु.न. 38 के कि.न. 6 ता 8 मे कोई भट्टा नही लगा हुआ है तथा चक 9 बीजीपी–बी प.न. 188/145 मु.न. 37 कि.न. 23 ता 25 व मु.न. 38 के कि.न. 3 ता 5 कुल 6 बीघा भूमि के संबंध मे भूमि परिवर्तन हेतु संपरिवर्तन का आवेदन पत्र अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.01.2013 को प्रस्तुत किया जा चुका है जो विचाराधीन है तथा भूमि पूर्व मे सांझा खाता मे दर्ज थी जिसका अब विभाजन हो चुका है। नामान्तरण संख्या 1299 दिनांक 11.06.2018 के द्वारा भूमि अलग अलग दर्ज हो चुकी है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र रेस्पो0 सं. 3 के मात्र कथनो के आधार पर बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किये अपीलाधीन निर्णय के जरिये 9 बीजीपी–बी खाता सं. 50/41 के प.न. 188/145 मु.न. 37 कि.न. 23 ता 25/0.759 है0, प.न. 188/146 मु.न. 38 कि.न. 3 ता 8 कुल 2.227 है0 को आराजीराज दर्ज करते हुए कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश पारित किये है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 178 (2) के अनुसार धारा 177 के अन्तर्गत ऐसी डिक्री या आज्ञा मे यह भी निर्देश होगा कि

अगर आसामी डिक्री की तारीख से तीन महीने के भीतर या ऐसी अग्रेतर अवधि के भीतर जिसके लिए न्यायालय कारण लिख कर अनुमति दे, टूट–फूट की मरम्म करवा दे, या ऐसे मुआवजे का भुगतान कर दे जो न्यायालय उचित समझे तो डिक्री या आज्ञा का लागत के अलावा अन्य किसी के लिये निष्पादन नही किया जायेगा, आदि प्रावधान किये गये। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय त्रुटि प्रतीत होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.05.2018 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वादग्रस्त भूमि के संबंध मौका रिपोर्ट प्राप्त करते हुए दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर पुनः नये सिरे विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.07.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्याायलय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा)आर..ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या – 158/2015/223 आर टी ए

मन्दरसिंह पुत्र बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. नूरनिशा पत्नि स्व. ईशाक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
2. जुल्फकार पुत्र स्व. ईशाक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
3. शकुरा पुत्री स्व. ईशाक मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
4. गुरमेलसिंह पुत्र आसकौर पत्नि बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
5. इन्द्रसिंह पुत्र आसकौर पत्नि बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
6. कौर सिंह पुत्र आसकौर पत्नि बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
7. गुरनाम सिंह पुत्र आसकौर पत्नि बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
8. जरनैल कौर पुत्री आसकौर पत्नि बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
9. छिन्द्र कौर पुत्री आसकौर पत्नि बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
10. किरणजीत कौर उर्फ रानी पुत्री नरसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
11. केवल सिंह पुत्र नरसिंह पुत्र बिशन सिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
12. रणधीर सिंह पुत्र नरसिंह पुत्र बिशनसिंह जाति जटसिख निवासी डबली राठान तहसील हनुमानगढ़।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 09.10.2014 व डिक्री दिनांक 17.10.2014 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ प्र0सं0 251/2013 अनवानी नूरनिशा बनाम सरकार

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता अपीलाण्ट, श्री नरेश पारीक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 3, श्री कृष्ण कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 4 ता

12 एवं श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 13 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09.10.2014 मे अंकित भूमि मे से बैयनामा दिनांक 02.08.1976 मे वर्णित भूमि प.न. 78/274 कि.न. 24 व प.न. 78/275 कि.न. 4 कुल 2.00 बीघा कम की जाकर अपीलांट व रेस्पो0 सं. 4 ता 12 उक्त 2.00 बीघा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। शेष अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09.10.2014 यथावत रखा रहेगा। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 06.10.2017 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ